न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2020 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 29.07.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00028

दुल्हेसिंह पिता मोहन सिंह जाति चारण, आयु वयस्क, निवासी हापाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–कन्हैयादास पिता लक्ष्मणदास जाति बैरागी, आयु वयस्क, निवासी हापाखेड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी, पंचायत समिति व तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 64 दिनांक 17.12.2019 ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी, पंचायत समिति कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

उपस्थिति : 1–श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता निगराकार

प्रकरण संख्या 11/2020 (नि.पं.)
दुल्हेसिंह पिता मोहन सिंह चारण निवासी हापाखेड़ी, तहसील कपासन बनाम कन्हैयादास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी हापाखेड़ी वगैरा

निर्णय

दिनांक 08.02.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है गैर निगराकार संख्या 2 अधीनस्थ ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 17.12.2019 जो पुश्तैनी जारी किया गया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम के तत्कालीन मौतबिर भामाशाह प्रार्थी/निगराकार के पूर्वजों ने अपनी निजी स्वामित्व की आवासीय भूखण्ड से भगवान को दान दी जिसमें पुजारी को केवल पूजा सेवा करने तक उसमें निवास का अधिकार दिया गया था उसका कोई स्वामित्व नहीं होते हुए भी गैर निगराकार संख्या 1 ने गलत एवं झूठे शपथ पत्र ग्राम पंचायत में पेश कर नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी करा लिया जो नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई। ना तो मौके पर वास्तविक निरीक्षण किया तथा ना ही सार्वजनिक आपत्ति हेतु चस्पांकन अथवा समाचार पत्र में उजरदारी प्रकाशित करवाई जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 17.12.2019 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रूपाखेड़ी द्वारा अपने पत्रांक/ग्रा.पं./नि.प्रकरण/2021–22/01 दिनांक 07.04.2021 से पट्टे से संबंधित रेकार्ड पेश किया। विपक्षीगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुनी गई।

प्रकरण संख्या 11/2020 (नि.पं.)
दुल्हेसिंह पिता मोहन सिंह चारण निवासी हापाखेड़ी, तहसील कपासन बनाम कन्हैयादास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी हापाखेड़ी वगैरा

अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, रूपाखेड़ी ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम हापाखेड़ी में एक सार्वजनिक मंदिर है जिसकी पूजा करने वाले पुजारी के निवास हेतु गांव के तत्कालिन मौतबीर भामाशाह प्रार्थी/निगराकार के पूर्वजों ने अपने निजी स्वामित्व के आवासीय भूखण्ड से भूमि भगवान को दान दी जिसमें पुजारी को केवल पूजा सेवा करने तक निवास का अधिकार दिया गया था कोई स्वामित्व का अधिकार पुजारी को नहीं था फिर भी पुजारी ने ग्राम पंचायत में झूठे व गलत शपथ–पत्र पेश कर उसके आधार पर नियम 157 (1) के तहत आवासीय पैतृक पट्टा जारी करवा लिया जबकि उक्त सम्पत्ति में पुजारी का मालिकाना हक नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने भी पट्टा जारी करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई। ना तो मौके पर वास्तविक निरीक्षण किया और ना ही आपत्तियों हेतु कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया ना समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया। प्रार्थी के पड़ौसियों ने भी झूठे शपथ–पत्र पेश किये। अतः ग्राम पंचायत, रूपाखेड़ी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 17.12.2019 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधिवक्ता निगराकार ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा द्वारा जारी किया उसे अपने पूर्वजों के स्वामित्व की आवासीय भूमि होना बताते हुए भगवान को दान दिये जाने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे निगराकार अथवा उसके पूर्वजों का उक्त विवादित भूखण्ड पर स्वामित्व या भगवान को दान दिये जाने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

प्रकरण संख्या 11/2020 (नि.पं.)
दुल्हेसिंह पिता मोहन सिंह चारण निवासी हापाखेड़ी, तहसील कपासन बनाम कन्हैयादास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी हापाखेड़ी वगैरा

जहां अधिवक्ता निगराकार द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं करने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा आपत्तियों के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं करने का कथन किया है वहां भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा इस न्यायालय में पेश अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल कायम की है तीन पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं गैर निगराकार संख्या 1 ने पुराने बने मकान का नक्शा भी पेश किया है जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल में संलग्न है साथ ही आक्षेप आमंत्रित करने हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.07.2019 को आपत्तियों के संबंध में नोटिस/सार्वजनिक सूचना पत्र भी जारी किया है जिसकी चस्पानगी के साक्ष्य स्वरूप ग्रामवासियान के उक्त नोटिस की कार्यालय प्रति पर हस्ताक्षर मौजूद हैं।

निगराकार द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर हम यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं मानते हैं। साथ ही निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 17.12.2019 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)